सराहनीय कार्य दिनाँक 25-03-23 जनपद फिरोजाबाद.

थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से गौवंश की तस्करी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों फिरोज खाँन एवं वसीम खाँन को अवैध असलाह व 32 जिन्दा गौवंश बरामदगी सहित किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद द्वारा जनपद में अभियान चलाकर गौवंश तस्करों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनाँक 24/25-03-2023 की रात्रि को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा मुखविर खास की सूचना पर पुरातन तिराहा मुस्तफाबाद रोड़ पर बैरियर लगाकर की जा रही चैकिंग के दौरान एक बन्द बाँडी कन्टेनर को टार्च दिखाकर रोकने का प्रयास किया गया तो कन्टेनर ड्राइवर द्वारा बैरियर मे टक्कर मारकर भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया जिससे पुलिस बाल- बाल बच गयी तत्पश्चात दो व्यक्ति कन्टेनर से उतरकर भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों में से एक ने अपना नाम वसीम खान उर्फ छोटे तथा दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम-फिरोज खाँन बताया तथा अपने दो अन्य साथियों 1. भोला खान निवासी ग्राम शेरघाटी थाना आमस जिला गया राज्य बिहार व 2. कामिल निवासी आगरा द्वारा भी गौवंश तस्करी में संलिप्त रहने के सम्बन्ध में बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व दूसरे पुलिन्दा मे एक अदद मोबाइल तीसरे पुलिन्दा मे 64 अदद रस्से व 01 अदद गौवंश काटने का बाँक, 06 अदद चाकू व 32 अदद गौवंश (साँड) तथा एक अदद ट्रक बन्द बॉडी न0 BR 02 GA 6204 बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना शिकोहाबाद पर मु0अ0सं0 201/2023 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 3/25/27 ए एक्ट व 307 भादवि पुलिस मुठभेड़ दर्ज किया गया है। अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. फिरोज खाँन पुत्र सरीफ उम्र 26 वर्ष निवासी दलेल नगर मुरारी गंज थाना अजीतमल जिला औरैया उ0प्र0।
2. वसीम खाँन उर्फ छोटे पुत्र जसीम खान उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम शेरघाटी थाना आमस जिला गया राज्य बिहार।

➢ नाम पता फरार अभियुक्तगणः-

1. भोला खान पुत्र नामालूम निवासी ग्राम शेरघाटी थाना आमस जिला गया राज्य बिहार।
2. कामिल पुत्र नामालूम निवासी आगरा।

➢ आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 201/2023 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 3/25/27 ए एक्ट व 307 भादवि पु0मु0 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 230/2021 धारा 6/7 MPKPP थाना मतगुआ जिला मध्य प्रदेश।

➢ बरामदगी का विवरणः-

1. 32 अदद जिन्दा गौवंश (सांड)
2. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
4. 64 अदद रस्से।
5. 01 अदद गौवंश काटने का बाँक।
6. 06 अदद चाकू।
7. एक अदद ट्रक बन्द बॉडी नं0 BR 02 GA 6204.

➢ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री हरवेन्द्र मिश्रा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 अंकित मलिक चौकी प्रभारी माधोगंज थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 अशेष कुमार चौकी प्रभारी सब्जी मण्डी थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
4. है0का0 54 ग्यान सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
5. का01268 विशाल कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
6. है0का0 584 दिनेश कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
7. है0का0 832 दिलावर सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
8. का0 793 विमल कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
9. का0 907 सुमित थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।